

न्यायालय कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

।।आदेश।।

गरियाबंद, दिनांक 10.04.2023


प्रकरण क्रमांक 202212220600008/अ-59 ::

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम के जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-417/95/सात/2 बी गोपाल, दिनांक 06.04.1998 अनुसार केन्द्रीय शासन के विभागों को नाममात्र पंजीकृत मूल्य 25.00 रुपये लेकर भूमि आवंटन किये जाने हेतु उत्सेख के अनुक्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक - क्रमांक 7 अनुसार ग्राम पितईबंद तहसील राजिम में स्थित शासकीय घास मड़ की भूमि खसरा नंबर 356 रकबा 20.39 हेक्टेयर में से 12.00 हेक्टेयर को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वृक्षारोपण हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन आवंटन किया जाता है:-

1/ भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

2/ यदि भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है, तो उक्त भूमि, शासन में स्वमेव निहित हो जावेगी।

3/ संबंधित विभाग को केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले समस्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा



प्रतिलिपि:-

1333-D

/कले./वाचक/2023

कलेक्टर,
गरियाबंद (छ0ग0)

गरियाबंद, दिनांक 10/04/23

- 1/ वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19 नवा रायपुर, अटलनगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 2/ अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 3/ वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- 4/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम को मूल प्रकरण सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- 5/ तहसीलदार राजिम को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

कलेक्टर,
गरियाबंद (छ0ग0)